न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	जी0सी0एम0एस0 नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
42/2025/प्रार्थना पत्र	2025/58	04.06.2025	24.11.2025

अनवान

शंकर पुत्र नारायण भील निवासी गिरड़िया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थी

:: बनाम ::

1– रतनलाल पुत्र काशीराम मीणा निवासी मीणों का खेड़ा कोटज तहसील कोटड़ी
2– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा में खाता संख्या 195 में स्थित खसरा नम्बर 719 रकबा 0.63 है0, 722 रकबा 0.38 है0, भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की स्थित है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात में विगत कई वर्षों से विपक्षी की आराजी नम्बर 921/723 के दक्षिण दिशा से निकलकर शाहपुरा से कोटड़ी वाले रास्ते से सालरिया रोड़ से होकर आराजी नम्बर 921/723 के पूर्व दिशा में होकर उत्तर दिशा में बिलानाम आराजी नम्बर 814/722 से अपनी आराजी नम्बर 719 व 722 में प्रवेश करता रहा है और अपने कृषि उपकरण लाता व ले जाता रहा है। तथा उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी की आराजी में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। कुछ समय पूर्व विपक्षी ने अपनी आराजी से सटवा जो रास्ता था उसको बंद कर दिया इस कारण प्रार्थी अपनी उक्त आराजी में नहीं आ जा पा रहा है। तथा प्रार्थी ने निवेदन भी किया कि रास्ता खुलासा कर दे लेकिन विपक्षी इंकार हो गया। व गाली गलौच कर आमदा फौजदारी हुआ इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की आराजी में उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने एवं उक्त रास्ते का विगत कई वर्षों से उपयोग करने से प्रार्थी का प्रईमा पेशी केस है प्रथम दृष्टया प्रकरण है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है और यदि प्रार्थी को उक्त वर्णित अनुसार 20 फीट रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी अपनी आराजी को काश्त नही कर पायेगा और अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी की आराजी नम्बर 719 व 722 में आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 20 फीट का रास्ता विपक्षी की आराजी नम्बर 921/723 के दक्षिण से निकल रहे शाहपुरा कोटड़ी मार्ग से सालरिया रोड से होकर आराजी नम्बर 921/723 के पूर्व दिशा में होकर उत्तर दिशा में बिलानाम आराजी नम्बर 814/722 दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ, जिसे रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षी संख्या 01 का सम्मन बाद/अदम तामिल प्राप्त नहीं होने से प्रकरण विपक्षी संख्या 01 के सम्मन के इंतजार में रखा गया। दिनांक 06.08.2025 को अभिभाषक प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 01 की पुनः तलबी के अवसर चहा। न्यायालय द्वारा तहसीलदार शहपुरा को जरिये पत्र यह

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला- भीलवाड़ा (राज.)

निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया की मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि आराजियात 719 व 722 हेतु रास्ता चाहा गया है। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति पर जांच से प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी का संपरिवर्तन करवा लिया गया है और उक्त आराजियात पर पहुंच हेतु आराजी नम्बर 956/814, 854/921 करमि गे.मु.रास्ता से होकर आ जा रहे है। जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगायत है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

प्रार्थी की खातदेारी की आराजियात 722, 958/719 पर गे.मु.रास्ता आराजी संख्या 954/921 से होकर 956/814 से होक प्रार्थी अपनी आराजियात 722 पर पहुंच रहा है। इस प्रकार प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात पर पहुंच हेतु रास्ता दर्ज रेकार्ड होकर मौजूद है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस आराजियात पर पहुंच हेतु रास्ता चाहा उस आराजियात तक पहुंच हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए खारिज किया जाना उचित समझता हूं।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थी की आराजियात 722 पर पहुंच हेतु रास्ता मौजूद होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.11.2025 सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा